

यह निरीक्षण आख्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)MDM नैनीताल के माह 01/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)MDM नैनीताल के अवधि की माह 01/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी.के.मट्टू ,श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24/02/2019 से 05/03/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

**परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री राकेश रंजन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री विरेन्द्र सिंह वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03-02-2015से 16-02-2015तक श्री प्रेमचंद्र लेखापरीक्षक के पर्यवेक्षक में सम्पन्न की गई थी । जिसमे माह 04/2011 से 12/2014 तक के लेखाअभिलेखों की जांच की गई थी ।

वर्तमान मे माह 01/2015 से 01/2019 तक के लेखाअभिलेखों की जांच की गई थी ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र, जनपद मे संचालित विधालयों मे अध्ययनरत कक्षा 01से 08 तक के बच्चों को MDM योजना के तहत मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। मॉनिटरिंग करना, एवं बैठकों का आयोजन करना। वर्तमान मे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)MDM नैनीताल स्थित हैं ।

(ii) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(रु में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
----- Nil -----						


(ब) केन्द्र/राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है।

विवरण	वित्तीय वर्ष			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 व्यय 01/2019 तक
प्रारम्भिक अवशेष	34308804	19138109	4488665	65183141
केंद्रान्स	75389478	98920989	102399395	60956412
राजयांश	25129826	33567707	34133131	15918804
वर्ष के दौरान कुल व्यय	115689999	147138140	75838050	113788217
अंतिम अवशेष	19138109	4488665	65183141	28270140

(ii) इकाई को बजट आवंटन स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को ) सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार/भारत सरकार ।

(iii) इकाई की श्रेणी है। "सी"

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) नैनीताल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त

स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)MDM नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह ----- -शून्य -----को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-दो (ब)****प्रस्तर 1 :- . धनराशि रु 7.59 लाख का अनियमित व्यय**

नियम अनुसार शासनादेश संख्या 358/xxvii/6/ 2011 दिनांक 23/09/2011, भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली बिल वाउचर 11-सि , BM-4,BM-5 तथा केश बुक इकाई के पास होना अनिवार्य हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एम् डी एम् भीमताल नेनीताल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विद्यालयों द्वारा वर्ष 2015-16 से जनवरी 2019 तक व्यय की गयी धनराशी के बिल वाउचर तथा केश बुक रिकॉर्ड में नहीं पाए गये

Year		
2015-16 to 01/19	रा० प्रा० वि० रखी कोट ओखलकांडा	169344.00
तदेव	रा० प्रा० वि० टांडा	158640.00
तदेव	रा० प्रा० मा० वि टांडा	227421.96
तदेव	रा० प्रा० वि० सई ओखलकांडा	204409.00
Total		759814.96

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा की objections विभाग द्वारा स्वीकार की गयी और बताया गया कि सम्बन्धित विद्यालयों से वांछित अभिलेख (बिल वौचर) अदि मंगाने के उपरांत कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेशित कर दिया जायेगा। विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं कियों कि विभाग द्वारा जो भी भुगतान किया जाये उसकी छायाप्रति उनके रिकॉर्ड /गार्ड फाइल में रखना अनिवार्य हैं तथा विभाग द्वारा उपरोक्त बिल वाउचर प्रेषित नहीं करना विभाग की शिथिलता प्रकट हो जाती हैं। अतः धनराशी रूपये 7.59 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

**भाग-III**

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
AIR No.23/2011-12		----	01,02,03	--
AIR No.182/2014-15		---	01,02	01

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वर्ष 2011-12 से संबन्धित रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना संभव नहीं है ।				
वर्ष 2014-15 ले०परी० निरी० प्रतिवेदन संख्या:182 के भाग-2(ब) का प्रस्तर संख्या-02 तथा STAN का प्रस्तर-1 निस्तारित किया जाता है ।				

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

**-शून्य-**

**भाग-V****आभार**

कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में) अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)MDM नैनीताल में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:- जिसकी सूची संलग्न है ।

1. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम स.	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री आर.सी.पुरोहित	जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक	15-09--2012 से 31-07-2015
2-	श्री गोपाल स्वरूप	जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक	01-08-2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)MDM नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ले.प.) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करे ।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**